इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद

प्रेस विज्ञप्ति

आज दिनांक 28.10.2017 को जोनल अधिकारी श्री आलोक कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में जोन संख्या 04 के अन्तर्गत नैनी क्षेत्र में अवैध निर्माणों के विरूद्ध की गयी ध्वस्तीकरण की कार्यवाही निम्नवत् है।

1. श्री गप्पूकपूर पुत्र स्व0 वैद्यनाथ कपूर द्वारा डी0पी0एस0स्कूल के सामने ओमेक्स सिटी वाली रोड पर देवरख नैनी भूतल पर कमरे लोहे के गेट एवं बाऊन्ड्रीवाल को ध्वस्त किया गया।
2. श्री सुरेन्द्र दिक्षित,सुनील पाण्डेय द्वारा सुमन हास्टल के पीछे देवरख उपरहार नैनी में लगभग 5 बीघा में अवैध रूप से निर्मित/विकसित की जा रही अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया गया। इसी के साथ अन्य द्वारा ग्राम मवैया ओमेक्स सिटी रोड पर अवैध रूप से की जा रही प्लाटिंग को ध्वस्त किया गया।

उक्त कार्यवाही के समय जोनल अधिकारी श्री आलोक कुमार पाण्डेय के अतिरिक्त अवर अभियन्ता श्री सुनील कुमार शर्मा,श्री अंशु गर्ग तथा क्षेत्राधिकारी करछना के साथ थानाध्यक्ष एवं सहित थाने की फोर्स, पी0ए0सी0बल एडीए प्रवर्तन दल, पुलिस बल मौजूद थे।

इसके अतिरिक्त अवैध निर्माणों के विरूद्ध की गयी कार्यवाही निम्नवत है–

जोन संख्या–01 में जोनल अधिकारी श्री सुशील कुमार चौबे के नेतृत्व में 04 चालान की कार्यवाही की गयी।

जोन संख्या–02 में जोनल अधिकारी श्री जय राम मौर्या के नेतृत्व में 05 चालान 05 नोटिस की निर्गत की गयी।

जोन संख्या–03 व 04 में जोनल अधिकारी श्री आलोक कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में 04 चालान की कार्यवाही की गयी।

जोन संख्या–05 में जोनल अधिकारी श्री पी0एन0यादव के नेतृत्व में 01 चालान की कार्यवाही की गयी।

जोन संख्या–06 में जोनल अधिकारी श्री सत् शुक्ला के नेतृत्व में 03 चालान की कार्यवाही की गयी।

इस प्रकार कुल 17 चालान 05 नोटिस निर्गत की गयी।

उक्त कार्यवाही में जोनल अधिकारियों के अतिरिक्त क्षेत्रीय अवर अभियन्ता/क्षेत्रीय भवन निरीक्षक एडीए प्रवर्तन दल एवं पुलिस बल उपस्थित रहे।

(ए0के0पाण्डेय)
प्रभारी अधिकारी जनसम्पर्क
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण
इलाहाबाद,

प्रतिलिपि : सम्पादक– समस्त दैनिक समाचार पत्रों को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उक्त विज्ञप्ति को अपने सम्मानित समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।

प्रभारी अधिकारी जनसम्पर्क